मुकाम

ब-अजलास अदालत ....

बनाम ....

करम मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.1.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा खासा का खेड़ा मे प्रार्थीगण की आ.स. 185, 191 स्थित है जिसके दक्षिण मे प्रतिवादी की आ.स. 187 स्थित है बंदोबस्त वालों ने भूल व लापरवाही से साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे मे इन्द्राज नही कर प्रतिवादी की आराजीयात को उत्तर की ओर बढा हुआ दिखा दिया है। जिसका नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादी वादीगण की वर्तमान आराजी 185 व 191 के दक्षिणी भाग मे प्रवेश कर खड्डे खोद कर पत्थर आदि डाल कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अत: विपक्षी को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की वर्तमान आ.स. 185 व 191 के लगभग 07 बिस्वा दक्षिणी हिस्से मे कोई निर्माण कार्य नही करे और यथावत स्थिती कायम रखें। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि बंदोबस्त वालो द्वारा नक्शे मे कोई गलती नही कि गई है, विपक्षी को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर वाद पत्र मय प्रा-पत्र पेश किया है। विपक्षी की आ.स. 187 का 35 वर्षो पूर्व भू रूपान्तरण करवा लिया है जिससे प्रा-पत्र वर्णित भूमि कृषि भूमि नही है जिससे वाद पत्र व प्रा-पत्र का क्षेत्राधिकार भी माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अत: प्रार्थीगण का प्रा-पत्र खारीज फरमाया जावे। पत्रावली के दौराने बहस मे वकील विपक्षी ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जो निम्न अनुसार है। R.R.D. 2014 पृष्ठ स. 463 व R.R.D-2012, पृष्ठ-20, R.R.D-2002 पृष्ठ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनी...
	है। प्रकरण मे उभय 576, R.R.D-2002 पृष्ठ. न142 पक्षों की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रकरण मे प्रस्तुत नजीर व प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र का मूल वाद 88-188-183 RT के तहत प्रस्तुत किया गया है। जो दिनांक 12.2.25 को प्रा. पत्र O.8 R.1 (3) CPC की बहस मे विचाराधीन है। जिसका निस्तारण साक्ष्य, दस्तावेजी सबुत के आधार व गुण व अवगुण के आधार पर किया जावेगा प्रार्थीगण के कथन के अनुसार आ.स. 185, 191 के साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे मे इन्द्राज नही कर प्रतिवादी की आराजीयात को उत्तर की ओर बढा हुआ दिखा दिया है। जिससे प्रार्थी व विपक्षी के मध्य उक्त आराजीयात पर विवाद उत्पन्न हुआ है। जिसका निस्तारण साक्ष्य सबुत व गुण अवगुण के आधार पर ही किया जावेगा। हमारी विनम्र राय से दोनो पक्षों के मध्य विवाद न बडे इस लिए दोनों पक्षों को पाबन्द करना उचित समझते है। अतः मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थीगण व विपक्षी मौजा खासा का खेड़ा की वर्तमान आ.स. 185, व 191 के लगभग 7 बिस्वा दक्षिणी हिस्से व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यह आदेश आज दिनांक 29.1.25 को लिखवाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/-